(5)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 22/17–18

केश का प्रकार : बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकारः– गुनीलाल यादव

प्रतिपक्षीः– शिवशंकर राय वगैरह

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	अपीलकर्ताः– 1– गुनी लाल यादव पिता स्व0शीलत यादव ग्राम–चपाही थाना–अंधराठाढ़ी, भाया–राजनगर। प्रतिपक्षी :–1– शिवशंकर राय पिता–गुणेश्वर राय ग्राम–चपाही, थाना–अंधराठाढ़ी,भाया–राजनगर। .....प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष। 2–हरि शंकर राय 3–जयशंकर राय पति–गुणेश्वर राय ग्राम–चपाही, थाना–अंधराठाढ़ी,भाया–राजनगर। .....प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष। **विवादग्रस्त भूमि का विवरणः–** **मौजा–चपाही थाना–अंधराठाढ़ी, खाता– 28 पूराना, खेसरा नं. 55 नया एवं 93 नया रकवा 0–1–8 (एक कट्ठा आठ धूर)**	
20.11.18	प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के न्यायालय बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा–16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद संख्या–02/16–17 में पारित आदेश दिनांक–13.06.2017 के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। अपील आवेदन प्रविष्टि के बिन्दु पर अंगीकृत करते हुये पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु सूचना दी गई एवं निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख मांगा गया। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष शिवशंकर राय को निबंधित डाक से भेजी गई सूचना बिना तामिला के डाकघर से वापस लौटा दिया गया। पुनः शिवशंकर राय पिता–गुनेश्वर राय की ओर से वकालतनामा के साथ वकालतन समयावेदन दिया गया एवं प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। **अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– प्रश्नगत भूमि प्रतिपक्षी संख्या–2 की थी जिन्हें भूमि बिक्रय करने की आवश्यकता हुई जिन्होंने अपीलकर्ता के साथ तयसूदा जरसेमन पर निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि बिक्री कर दखल दे दिया। क्योंकि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि कय करने हेतु इच्छूक नहीं थे। कय हुई भूमि का दाखिल खारिज अपीलकर्ता के पक्ष में हुआ जिसका लगान भी उनके द्वारा अदा किया जा रहा है। 2– निम्न न्यायालय ने बिना सूचना निर्गत किये एवं अपीलकर्ता को सूने ही एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जो आच्छेपित है एवं निरस्त होने योग्य है। अपील आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया।	

<u>प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः—</u>

1— प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया गया बिक्री केवाला में दर्ज चौहद्दी गलत है। दक्षिण चौहद्दी में प्रतिपक्षी का जमीन था किन्तु इसे छूपाया गया। अपीलकर्ता विवादग्रस्त जमीन के न तो अरिया रैयत हैं वो न ही सह हिस्सेदार हैं। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत जमीन के अरिया रैयत के साथ सह हिस्सेदार भी हैं।

2— निम्न न्यायालय द्वारा पारित कानून पर आधारित है। अतः अपील आवेदन को खारिज करते हुये निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने सुनवाई के कम में अपना—अपना पक्ष रखा।

अपीलकर्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा एक तरफा बिना सुने आदेश पारित किया गया, जो गलत है।

प्रतिपक्षी—1 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख संख्या—02/16—17 में पारित आदेश में लिखा गया है कि वाद की एक पक्षीय सुनवाई की गई एवं आदेश पारित किया गया।

<u>निष्कर्षः—</u>

अपील आवेदन, प्रत्युत्तर एवं दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूनने के बाद पाया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुनवाई के बाद आदेश पारित किया गया। चूँकि अपीलकर्ता की सुनवाई नहीं हो पाई इसलिए उक्त वाद में दोनों पक्षों की सुनवाई कर उचित निर्णय लेने हेतु वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के न्यायालय में रिमाण्ड किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

30/11/18

अपर समाहर्ता।

अपर समाहर्ता, 30.11.18

मधुबनी।

पत्रांक 395/28 मधुबनी दिनांक 30/11/18

प्रतिलिपि ...

30/11/18